



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक: 254 / प्रवर्तन जोन-1 / 2024-25

दिनांक: 21/03/25

शमन स्वीकृत पत्र

सेवा में,

मैसर्स एस0वी0पी0 बिल्डर्स (इण्डिया) लि0
ग्रुप हाउसिंग, गुलमोहर गार्डन
खसरा संख्या-1131, 1133, 1139, 1143 एवं 1144
ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद।

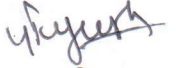
विषय:- खसरा संख्या-1131, 1133, 1139, 1143 एवं 1144 ग्राम नूरनगर गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी गुलमोहर गार्डन के टावर-22 एवं टावर-25 में स्वीकृत मानचित्र संख्या-180925160153227 दिनांक 30.08.2019 से अतिरिक्त किये गये निर्माण का शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा संख्या-1131, 1133, 1139, 1143 एवं 1144 ग्राम नूरनगर गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी गुलमोहर गार्डन के टावर-22 एवं टावर-25 में स्वीकृत मानचित्र संख्या-180925160153227 दिनांक 30.08.2019 से अतिरिक्त किये गये निर्माण का शमन कराने हेतु प्रस्तुत शमन प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति के क्रम में आरोपित शमन शुल्क रू0 13,97,698.00 (रू0 तेरह लाख सत्तानवे हजार छः सौ अट्ठानवे मात्र) का मांग पत्र सं0-246/प्रवर्तन जोन-1/2024-25 दिनांक 18.03.2025 प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया। मांग पत्र के सापेक्ष आप द्वारा उपरोक्त शमन शुल्क रू0 13,97,698.00 प्राधिकरण कोष में दिनांक 19.03.2025 को जमा किया गया है, जिसके फलस्वरूप शमन मानचित्र में विद्यमान निर्माण का निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है:-
शर्तों/प्रतिबन्ध

1. ग्रुप हाउसिंग भवन का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अध्यासन किया जायेगा।
2. पूर्णता प्रमाण पत्र से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
3. सोलर वाटर हीटिंग उपकरण का प्राविधान वी0आई0एस0 कोड के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
4. पूर्णता प्रमाण पत्र से पूर्व एसटीपी का संचालन करना होगा।
5. विद्युतीकरण के सम्बन्ध में विद्युत विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व प्रस्तुत कराना होगा।
6. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
7. विकलांग एवं असक्त व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण करना होगा।
8. रूप टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण कर कियाशील किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
9. ग्रुप हाउसिंग पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु सुरक्षित/अनुरक्षित रखनी होगी। सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
10. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद विवाद की दशा में स्वीकृत/शमनित मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।

11. मानचित्र स्वीकृति के समय एवं पूर्व शमन तथा वर्तमान में प्रस्तुत शपथ पत्रों में दर्शित सतस्त धाराओं के अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
12. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग हेतु ही अनुमन्य होगा। विपरीत दशा में प्रदत्त शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
13. शमनीय भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानको स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा किसी अन्य दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माण निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं शमनित मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी/निर्माणकर्ता स्वयं का होगा।
14. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-180925160153227 दिनांक 30.08.2018 में प्रस्तुत समस्त शपथ पत्र/वचन बद्धता तथा समस्त शासकीय विभागों से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं स्वीकृत मानचित्र में दर्शित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
15. भविष्य में कोई बड़ा हुआ विकास शुल्क या अन्य किसी शुल्क की मांग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा कराना होगा।
16. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वैनटिलेशन की व्यवस्था करनी होगी।
17. ग्रीन पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा तथा जनसामान्य हेतु खुला रखना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
18. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संयंत्र स्थापित करना होगा।


सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-1

पीयूष सिंह
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-1